

जनपद हापुड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 24 (पुराना) (हापुड शहरी भाग (पुराना दिल्ली-लखनऊ रोड (बांयी पटरी))) के कि०मी० 49.800 से कि०मी० 54.00 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 235 (मेरठ-हापुड रोड (बी०पी०सी०एल० पेट्रोल पम्प से गुरुद्वारा चौक (बांयी पटरी))) के कि०मी० 28.500 से कि०मी० 31.300 कुल लम्बाई 7.00 कि०मी० एवं 0.3500 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव में स्तम्भ संख्या 11 के निरीक्षण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

दिनांक 17.02.2022 को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में अंकित संरक्षित वन भूमि का निरीक्षण किया गया। स्थलीय एवं सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट से निम्न स्थिति स्पष्ट होती है।

स्तम्भ सं० 7वीं से 12 तक:- प्रश्नगत क्षेत्र में वनस्पतियों में/वन्य जन्तु लुप्त पर्याय प्रजातियों का उल्लेख नहीं पाया गया। साथ पुरातत्त्विक/रक्षा अधिष्ठान में सम्बन्धित स्मारक क्षेत्र नहीं है।

स्तम्भ सं० 8:- प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

स्तम्भ सं० 9:- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

02/3/22
प्रभागीय वनाधिकारी,
हापुड वन प्रभाग,
हापुड।